## न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 42 / 2021

श्री संतोष कुमार शर्मा पुत्र श्री कृष्ण कुमार वर्मा, निवासी प्लाट नं. सी / 4,फ्लेट नं. बी / 5 कृष्णा अपार्टमेंट बनी पार्क जयपुर–302016

--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उप पजीयक निवाई जिला टोंक

--प्रत्यर्थी

**अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005**

निर्णय दिनांक 11–2–2022

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को दिनांक 31–8–2021 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी। प्रार्थना पत्र में अंकित सूचना लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई जिला टोंक से सम्बन्धित होने से आवेदक का प्रार्थना पत्र, पत्र क्रमांक 729 दिनांक 8–9–2021 से अन्तरित कर दिया गया। आवेदक द्वारा चाही गई निम्न सूचना आवेदक को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये जो इस प्रकार थीः–

Perticulars of information required in reference to LAND RECORDS ( Land sale, Purchase OR Land transferred) withnin NEWAI TAHASIL Tonk district, during period from 1.07-2021 to 14.08.2021, Inclusive of both dates.

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई, उप पंजीयक निवाई व उप पंजीयक दत्तवास तहसील निवाई को पत्र कमांक 1479–81 दिनांक 15–12–2021 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब कर अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव उप पंजीयक निवाई द्वारा पत्र कमांक 18 दिनांक 31–1–2022 से जवाब प्रेषित किया गया हे कि आवेदक को सूचना के सम्बन्ध में पत्र कमांक 218 दिनांक 21–10–2021 से सूचित किया जा चुका है, जिसकी प्रति पत्र के साथ संलग्न की गई है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना के सम्बन्ध में जवाब भिजवाया जा चुका हैं। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उप पंजीयक निवाई तथा [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:04:19 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]
[illegible] अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते